रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Ctll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

हरिनारायण बनाम ग्राम पंचायत आभेड़ा वगै०

किस्म मुकदमा T.I नं० 108 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/25	दिनांक 26/04/2025 को राजकीय अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी सं. 03 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी सं. 03 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब पेश किया, उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 30/04/2025 को पेश हो। [signature] **उप खण्ड अधिकारी** **बांदीकुई (दौसा)**	
30/04/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील ने बहस में कथन किया कि भूमि खाता संख्या नया 208 पुराना 83 ख०नं. 197, 198, 201, 202 कुल किता 10 कुल रकबा 1.90 हैक्टे. वाके रासा बड़ा बास तह. बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। भूमि मुतदाविया में प्रार्थी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष भूमि के अन्य खातेदारान काश्तकार है जिन्होंने मनसमाई से भूमि मुतदाविया का बाहमी रूप से तकासमा कर रखा है तथा वे जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर इसका अपने [signature]	

बुजुर्गान के समय से उपयोग उपभोग करके लगान अदा करते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया में प्रार्थी के हिस्से 1/12 मौके पर आबादी भूमि के सटवा एवं नजदीक है। तथा आबादी भूमि में 15 फिट चौडा रास्ता मौके पर मौजूद था लेकिन अतिक्रमण के कारण वर्तमान में मात्र 7 फिट चौडा रास्ता ही मौजूद है। जिसमे होकर अप्रार्थी सं. 01 व 02 मौके पर नाले का निर्माण कर रहे है। अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने भूमि मुतदाविया में जो ट्रैक्टर व जेसीबी से नाले बाबत खुदाई करवाकर फसल को नुकसान पहुंचाया है जिसका उन्हें कोई भी हक अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होने अपने पद का दुरूपयोग कर भूमि मुतदाविया में प्रार्थी के हिस्से में मजाहमत पैदा की है। अतः अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 को अपने पद का दुरूपयोग कर किसी भी प्रकार का कोई नाले का निर्माण करने से प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा खडी करने से व प्रार्थी को भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारों के विरूद्ध कोई भी अवैध कार्य करने से प्रतिबंधित रहने बाबत निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस में कथन किया कि वादी अतिक्रमी है। वादी ने आबादी भूमि के रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा ग्राम पंचायत थाणेडा के द्वारा वादी के अतिक्रमण को हटाने की कहने पर वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे काल्पनिक तथ्य दर्ज करते हुये वादपत्र मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त कर लिया। प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी की भूमि में होकर नाले का निर्माण करने का कोई प्रयास नहीं किया है बल्कि आबादी व रास्ते की भूमि में होकर ही नाले का निर्माण कार्य आरंभ किया। आबादी और रास्ते की भूमि पर वादी को

४५६

अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार
जिस भूमि पर प्रतिवादीगण नाला
चाहते है उस भूमि से वादी का कोई
नहीं है बल्कि वह भूमि आबादी व रास्ते
इसलिये वादी को किसी प्रकार की कोई
का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादीगण
फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया
ही वादी की खातेदारी की भूमि में होकर
किया जा रहा है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र
निषेधाज्ञा खारिज किये जाने बाबत निवेदन

हमने उभयपक्ष वकील बहस
पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात, जवा
अवलोकन से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी
द्वारा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते
रास्ते की भूमि में होकर नाले का निर्माण
उपरोक्त विवेचन से प्राईमा
सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति
अप्रार्थीगण के पक्ष में होना उचित
अतः प्रार्थी प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा
होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली
होकर बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस भूमि पर प्रतिवादीगण नाला निर्माण करना चाहते है उस भूमि से वादी का कोई लेना देना वास्ता नहीं है बल्कि वह भूमि आबादी व रास्ते की भूमि है। इसलिये वादी को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादीगण ने वादी की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और ना ही वादी की खातेदारी की भूमि में होकर नालेका निर्माण किया जा रहा है। अतः प्रार्थी प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रा०पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए आबादी व रास्ते की भूमि में होकर नालेका निर्माण किया जाना है। उपरोक्त विवेचन से प्राईमा फेसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धांत अप्रार्थीगण के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 30/4/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	